सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर**
**पीठासीन अधिकारी, महावीर सिंह, आर.ए.एस.**

**अपील संख्या 107/15** **निर्णय दिनांकः 15.10.2019**

1. रामप्रताप पुत्र हिम्मताराम जाति जाट निवासी बापेऊ तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

**—बनाम—**

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

—रेस्पोडेन्ट्

**अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 18—08—1999**
**सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर**

**उपस्थितिः—**

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

**—निर्णय—**

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 18—08—1999 जिसके द्वारा अपीलांट का रकबा अन्य को आवंटन बताकर आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा बतौर विशेष आवंटन चक 5 एनजीएम के मुरब्बा नम्बर 52/45 में भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा अरनेस्ट मनी राशि 500/— खजानाराज में जमा करवा दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलांट द्वारा आवेदित भूमि पूर्व में ही अन्य को आवंटित है। अतः

उपरोक्त भूमि का आवंटन अपीलांट को नहीं किया जा सकता। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।



3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि अपीलांट् ने बतौर विशेष आवंटन के तहत तहसील पूगल के चक 5 एनजीएम के मुरब्बा नम्बर 52/45 की भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र मय सबूत व धरोहर राशि के प्रस्तुत किया गया। अपीलांट्स द्वारा आवंटन प्रार्थना पत्र के साथ आवंटन हेतु आवश्यक तमाम सबूत पेश किये थे। उसके पश्चात् अपीलांट को कहा गया कि जब भी रकबा आवंटन करेंगे तो आपको रजिस्टर्ड नोटिस सूचित कर दिया जावेगा। अपीलांट रकबा आवंटन की सूचना का इंतजार करता रहा व अपीलांट को कोई नोटिस अथवा सूचना नहीं दी गई।

तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा दिनांक 18—08—1999 को आवंटन सलाहकार समिति की राय से उक्त आवेदन पत्र में आवेदित रकबा अन्य को आवंटित होने का बताकर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया। जबकि अपीलांट द्वारा आवेदित रकबा पूर्व में अन्य को आवंटित था तो अधीनस्थ न्यायालय को उक्त रकबा गजट से विलोपित किया जाना चाहिए था। उक्त स्थिति होने पर अपीलांट द्वारा उक्त रकबे के स्थान पर अन्य रकबे के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना स्वाभाविक था। ऐसी स्थिति में अपीलांट को इस स्थिति का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट को उक्त रकबे के स्थान पर अन्य रकबा आवंटन के आदेश प्रदान किये जाने चाहिए थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा न करते हुए अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलांट द्वारा आवेदित रकबा पूर्व में अन्य व्यक्ति को आवंटित है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है।

अधिनस्थ न्यायालय ने एक साईक्लोस्टाईल आर्डरशीट में चक नम्बर व मुरब्बा नम्बर भरकर अपीलांट्स के प्रार्थना पत्र खारिज कर दिये गये। जबकि आज भी उक्त भूमि की नियमानुसार राशि जमा करवाने को तैयार है।



अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। इसलिए अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर व पीठ पीछे एकतरफा तौर पर पारित किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट्स ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18—08—1999 के विरूद्व अपील दिनांक 29—10—15 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट द्वारा आवेदित रकबा पूर्व में अन्य को आवंटित होने के कारण खारिज किया गया है। लिहाजा अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 18—08—1999 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील

18—12—2018 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस अथवा सूचना नहीं दी गई है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। अतः अपीलांट के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाती है।



हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष बतौर विशेष आवांटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र अपीलांट द्वारा आवेदित भूमि पूर्व में अन्य को आवंटन होने के कारण अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है।

इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चक 5 एनजीएम के मुरब्बा नम्बर 52/45 के विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के प्रार्थना पत्र की जॉच किये जाने पर यह पाया गया कि अपीलांट द्वारा आवेदित रकबा अपीलांट के आवेदन से पूर्व ही अन्य व्यक्ति को आवंटित है।

विशेष आवंटन के प्रकरण में चूंकि प्रार्थी द्वारा विशेष रकबे हेतु ही आवेदन प्रस्तुत करते हुए आवंटन की इस्तदुआ की जाती है तथा प्रार्थी को आवेदित रकबा ही आवंटन किये जाने का प्रावधान है, अन्य रकबा आवंटन के प्रावधान विशेष आवंटन के प्रार्थना पत्र पर लागू नहीं होते है। हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा आवेदित रकबा अपीलांट के आवंटन से पूर्व ही अन्य को आवंटित होने के कारण उक्त भूमि अब अपीलांट को प्राप्त नहीं हो सकती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी इसी आधार पर अपीलांट का आवेदन पत्र खारिज किया गया है। जो विधि सम्मत है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाती है व सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का आदेश दिनांक 18–08–1999 बहाल रखा जता है।

9. निर्णय आज दिनांक 15–10–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(महावीर सिंह)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर